

प्रेस विज्ञप्तिथाना- सरायमीरकिशोरी को अगवा करने वाला अभियुक्त तमचा-कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 27.03.2024 को थाना स्थानीय पर वादिनी मुकदमा द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि वादिनी के पति ने वादिनी की पुत्री को संदीप कुमार द्वारा भगाने के सन्दर्भ में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 109/2024 धारा 363,366,376 IPC व 5(ज)(II)/6 पास्को एक्ट दर्ज कराया था, इसी बीच किसी तरह वादिनी की लड़की अभियुक्त के कब्जे से भागकर वादिनी मुकदमा के घर आ गयी थी तथा वादिनी मुकदमा ने संदीप कुमार पुत्र रामपलट के गिरफ्तारी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया।

➔ पुनः दिनांक 23-03-2024 को संदीप कुमार, गुलाब, रामपलट, चिन्ता सरोज, साधना और सुगी एक राय होकर वादिनी मुकदमा के दरवाजे पर चढ़ आये और गाली गुप्ता देते हुए घर में घुस कर वादिनी मुकदमा की लड़की को जबरजस्ती भगा ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 149/2024 धारा 363/366/452/504/506/34 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 19.04.2024 उ0नि0 अखिलेश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त संदीप कुमार पुत्र दयाराम सा0 बीबीपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष को हनुमान मन्दिर करछा बार्डर से समय करीब 1:30 बजे (रात्रि) को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमचा .315 व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 195/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 109/24 धारा 363,366,376 IPC व 5(ज)(II)/6 पास्को एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 149/2024 धारा 363/366/452/504/506/34 भादवि सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 196/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0 153/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) UP GT ACT थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- संदीप कुमार पुत्र दयाराम निवासी बीबीपुर थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

बरामदगी- 01 तमचा व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 580/2023 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवली जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0- 235/2022 धारा 379/411 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0- 109/24 धारा 363,366,376 IPC व 5(ज)(II)/6 पास्को एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. मु0अ0सं0-153/2024 धारा 2(b)(i), 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
5. मु0अ0सं0-302/2023 धारा 34, 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
6. मु0अ0सं0- 235/2022 धारा 379/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।
7. मु0अ0सं0- 149/2024 धारा 363/366/452/504/506/34 भादवि सरायमीर जनपद आजमगढ़।
8. मु0अ0सं0- 196/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाले टीम-

1. उ0नि0 अखिलेश यादव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
2. का0 चन्दन कुमार, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
3. का0 गुप्ता संदीप लल्लन, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
4. शशिकान्त तिवारी, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
5. का0 श्रेष्ठ यादव, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।
6. म0का0 सन्जू सिंह, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना पवई
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 15.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि विपक्षी राकेश मौर्या पुत्र आशाराम मौर्य ग्राम कादीपुर थाना पवई आजमगढ़ ने शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ 04 वर्षों तक दुष्कर्म किया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/24 धारा 376, भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट एक्ट बनाम राकेश मौर्या पुत्र आशाराम मौर्य ग्राम कादीपुर थाना पवई आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➔ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 452 भादवि0 की बढोत्तरी व धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट को धारा 376(3), 452 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट में संशोधित किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 19.04.2024 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश मौर्या पुत्र आशाराम मौर्य ग्राम कादीपुर थाना पवई आजमगढ़ को मिल्कीपुर अण्डर पास से समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 116/24 धारा 376(3), 452 भादवि व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना पवई जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- राकेश मौर्या पुत्र आशाराम मौर्य ग्राम कादीपुर थाना पवई आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम- थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह थाना पवई जनपद आजमगढ़।

थाना – अहरौला

चोरी गये सामान के साथ 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना- दिनांक- 16.04.2024 को वादी मुकदमा शैलेश सिंह पुत्र राधेश्याम सिंह ग्राम व पोस्ट – बरईपुर थाना अहरौला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि 02 बाल अपचारियों द्वारा दिनांक- 14.04.2024 को बरईपुर में 05 बोरा सरसो तथा 02 बोरा गेहूँ चुरा ले गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 157/24 धारा 380 भादवि बनाम 02 बाल अपचारी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 18.04.2024 को उ0नि0 अवधेश कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 02 बाल अपचारी को समय करीब 13:20 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। जिनके कब्जे से चोरी गया सामान (04 प्लास्टिक के बोरी में सरसों व 02 प्लास्टिक की बोरी में गेहू वजन सरसों 1 कुन्तल 12.785 kg गेहूँ 38.110 kg) बरामद किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 157/24 धारा 380 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 04 बोरी सरसों (1 कुन्तल 12.785 kg) व 02 बोरी गेहू वजन (गेहूँ 38.110 kg)

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम- (सादे वस्त्रों में)

उ0नि0 अवधेश कुमार यादव, रिक्रूट उ0नि0 विश्राम गुप्ता व म0का0 आभा दूबे तथा सादे बस्त्र में हे0का0 सर्वेश यादव व म0का0 प्रियंका वर्मा थाना अहरौला आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- थाना मेंहनगर पर वादी मुकदमा सतीराम राम पुत्र सहदेव राम ग्रा0 जिगनी थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 29-03-2024 को समय करीब 10 बजे रात में आवास आंक्टन की बात को लेकर विपक्षी (1) रामसेवक राम पुत्र मनीराम (2) मुकेश राम पुत्र स्व0 रामवदन राम (3) संगम राम पुत्र सेवक राम (4) बलदेव राम पुत्र जीतू राम (5) अंकुर राम उर्फ मोनू पुत्र बलदेव राम (6) कैलाश राम पुत्र सुर्यवली राम व 7 लोग दूसरे गाँव के नाम अज्ञात लोग एक जूट होकर प्रार्थी के पोते (1) अरविन्द राम पुत्र अर्जून राम (2) झिन्कू राम पुत्र ढोडई राम (3) दया राम पुत्र सतिराम राम (4) विजमोन राम पुत्र ढोडई राम (5) रीता पत्नी राजेश राम (6) प्रेमा पत्नी राजकुमार राम को लाठी डन्डे से मारे पीटे जिसे सर में काफी चोटे आयी है (7) व आरती पत्नी दया राम (8) सुमन पत्नी विजय राम को गंभीर चोटे आयी है। और जान से मारने की धमकी दिये है। जिससे मजरूम झिन्कू उपरोक्त मौके पर बेहोश हो गये तथा विपक्षी गाली देते हुए भाग गये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 112/24 धारा 34/323/504/506/308 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 19.04.2024 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त बलदेव राम पुत्र जीतू राम निवासी जिगनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 13.20 बजे अभियुक्त के घर ग्राम जिगनी से गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- बलदेव राम पुत्र जीतू राम निवासी जिगनी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 112/24 धारा 34/323/504/506/308 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, का0 सुरेन्द्र कन्नौजिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंज
दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 18.04.24 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की लडकी के साथ छठ पुजा के रात 19 या 20 नवम्बर 2023 को अभियुक्त पवन कुमार पाण्डे पुत्र जितेन्द्र पाण्डे निवासी ग्राम पुनर्जी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष ने दुष्कर्म किया तथा किसी से कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 179/24 धारा 352.376.506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 19.04.2024 को निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पवन कुमार पाण्डे पुत्र जितेन्द्र पाण्डे निवासी ग्राम पुनर्जी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष को जहानागंज ब्लाक तिराहे से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 179/24 धारा 352.376.506 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- पवन कुमार पाण्डे पुत्र जितेन्द्र पाण्डे नि0 ग्राम पुनर्जी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 36 वर्ष।
आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली टीम- नि0अपराध सुरेन्द्र कुमार दूबे, हे0का0 सुभाषचन्द, हे0का0 रमाशंकर यादव थाना जहानागंज आजमगढ़।

प्रेस नोट

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर किये गये 05 अपराधी

जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत गोवध एवं आपराधिक कृत्यों में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा 05 अपराधियों को दिनांक- 16.04.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। थाना गम्भीरपुर व पवई से 02-02 व थाना कोतवाली से 01 अपराधी को जिलाबदर किया गया है।

जिलाबदर किये गये 05 अपराधियों का विवरण निम्नवत है-

1. शैलेन्द्र कुमार पासी उर्फ बबलू पुत्र रत्तीलाल निवासी कछरा थाना पवई जनपद आजमगढ़। (शराब)
2. चन्द्रशेखर पुत्र हरिरारम निवासी बहाउद्दीनपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़। (आपराधिक)
3. मो0 तन्जिम पुत्र मो0 इरसाद निवासी मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़। (गोवध)
4. मो0 सोफियान पुत्र हजारी इस्लाम निवासी मोहम्मदपुर भिटिया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़। (गोवध)
5. हरिश्चन्द्र यादव उर्फ रुदल पुत्र कोमल यादव निवासी मनचोभा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़। (आपराधिक)